दि० 27-12-2021

दि० 27-12-2021

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पोस्ट–खड़बाडीह, विकास खण्ड–मनिहारी तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम व पोस्ट–खड़बाडीह, विकास खण्ड–मनिहारी तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष/चेयरमैन द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली –

ट्रस्ट के उद्देश्य –ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज महाविद्यालय , पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, पुस्तकालयों, वाचनायलों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रो, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना,नामकरण विकास,सम्बद्ध आबद्ध,प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत,अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

क्रमशः......3

अनिल कुमार सिंह

6. महिला एवं बाल विकास, एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना कारना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र खेलकूद युवा मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन कारना।
10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग,पैरा मेडिकल कालेज, आपरेशन, टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन फिजीयोंथीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय वाचनालय पत्र–पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था व पुनर्वास की स्थापना एवं संचालन करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यक वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत , तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

क्रमशः.......4

अनिल कुमार सिंह

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन ,अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना ।
16. पुस्तको साहित्य,पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन,मुद्रण वितरण आदि कर सकना
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम ,पर्यावरण कार्यकम ,एड्स कार्यकम ,अधिवेशन , गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताएं ,बैठकें,विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यकम आदि आयोजित कर सकना ।
18. सिलाई ,कढाई ,बुनाई ,स्किन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों ,महाविद्यालयों ,मेडिकल कालेजों,विधि महाविद्यालयों ,इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।
20. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ,संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी .का प्रचार –प्रसार कर सकना ।.
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार –प्रसार कर सकना ।
26. पुस्तक,पुस्तिकाएं,पत्र,पत्रिकाएं समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित,सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना ।
27. नियमानुसार संबंधित अभिलेखों में भी महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति के स्थान पर महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ट्रस्ट का नाम दर्ज किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, द्वारा सचालित सभी कार्य महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ट्रस्ट के अधीन होगें।

आतिक कुमार सिंह

क्रमशः.......5

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क / मुल्य / निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन ,अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना ।
29. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना ।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता , स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।
33. विभिन्न संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कालेज / इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
34 ट्रस्ट के कोष।एवं सम्पदा में वृद्धि करना,विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
35 ट्रस्ट जन सामान्य के हितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं / वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड़न्जा तालाबों का निर्माण ,मछली पालन ,पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकेगा ।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।

कमशः.........6

अनिल कुमार सिंह

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनीक का निर्माण करना।
39. किसानो के उत्थान एव विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
41. दलित, पिछड़ो, अल्पसंख्यको, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
42. धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी , सम्मेलन, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन–प्रशासन तक पहुंचाना।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
44. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया–कलापों के बारें मे जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।

<u>प्रारम्भिक उपबन्ध–</u>

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **श्री अनिल कुमार सिंह** जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/चेयरमैन सुनिश्चित किया जाता है। तथा श्रीमती सविता सिंह पत्नी श्री सुशील कुमार सिंह को उप ट्रस्टी/उपाध्यक्ष/वाइस चेयरमैन, श्री सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री सूर्यनाथ सिंह, श्रीमती किरन सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह, श्री समीर सिंह पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह , महर्षि निखिल सिंह राजपूत पुत्र श्री सुशील कुमार सिंह को ट्रस्टी (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य) सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष **श्री अनिल कुमार सिंह** द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाए।

अनिल कुमार सिंह